न्यायालय– पंचम जिला न्यायाधीश मण्डला (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी – ब्रजेश गोयल)

विविध सिविल अपील प्र.क. – आर.सी.ए./50/2022
सी.एन.आर. नंबर – एम.पी.5101004502–2022
फाईलिंग नंबर – आर.सी.ए./1197/2022
संस्थित दिनांक –27.10.2022

01. चमरू पिता मन्ना गौंड आयु 70 वर्ष
02. लामू पिता मन्ना गौंड आयु 65 वर्ष
03. शंभू पिता मन्ना गौंड आयु 50 वर्ष
04. ज्ञानी पिता चमरू गौंड आयु 45 वर्ष
05. बुधराम पिता चमरू गौंड आयु 35 वर्ष
06. बरातू पिता ज्ञानी गौंड आयु 26 वर्ष
07. उज्जर सिंह पिता लामू गौंड आयु 28 वर्ष
08. अमरसिंह पिता लामू गौंड आयु 28 वर्ष
09. करन पिता चमरू गौंड आयु 30 वर्ष
सभी निवासी ग्राम पकरीटोला किसली भिलवानी पोस्ट खटोला तहसील बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.)

..........अपीलार्थीगण

विरूद्ध

01. रामसिंह पिता उमराव गौंड आयु 35 वर्ष

02. प्रेमसिंह पिता उमराव गौंड मृत तर्फे वारिसान
अ–सोमवती पति स्व. प्रेमसिंह आयु 40 वर्ष
ब–हरिबती पिता स्व. प्रेमसिंह आयु 12 वर्ष
स–हरिचंद पिता स्व. प्रेमसिंह आयु 08 वर्ष
द– हरिसिंह पिता स्व. प्रेमसिंह आयु 06 वर्ष
निवासी ग्राम लडैयाटोला तहसील बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.)

03. डिप्टी डायरेक्टर कान्हा टाईगर रिजर्व बफर जोन वन मण्डल जिला मण्डला (म.प्र.)

04. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष, जिला मण्डला (म.प्र.)

..........प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण द्वारा	**— श्री थानेश्वर तेकाम अधिवक्ता।**
प्रत्यर्थी 01 एवं 2 अ द्वारा	**— श्री मनोज गुप्ता अधिवक्ता।**
प्रत्यर्थी कमांक 02 ब स व द	**— एकपक्षीय।**
प्रत्यर्थी क. 3 व 4	**— एकपक्षीय।**

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक —01.05.2025— को घोषित किया गया।)

01— यह नियमित सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भुआ बिछिया जिला मण्डला (सुश्री श्वेता परते) के न्यायालय के व्यवहार वाद कमांक 192—ए/2016 (चमरू आदि विरूद्ध रामसिंह आदि) के मामले में पारित निर्णय एवं जयपत्र दिनांक 22.09.2022, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद **निरस्त** किया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02— प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने इस आशय का व्यवहार वाद प्रस्तुत किया कि उसे तथा उसकी पत्नी लमिया को वन ग्राम पखरीटोला भिलवानी पटवारी

हल्का नंबर 62 वन परिक्षेत्र कान्हा कोर की भूमि खाता नंबर 330 का शासकीय पट्टा क्र. 000146 रकबा 2.5 हेक्टेयर का दिनॉक 01.07.1997 से दिनॉक 30.06.2007 की अवधि का डिप्टी डायरेक्टर कान्हा टाइगर रिजर्व बफर जोन वन मण्डल, मण्डला का प्रदान किया था। वह उक्त 10 एकड़ भूमि में काबिज होकर उसमें फसल ले रहे हैं। प्रतिवादीगण पढ़े–लिखे चालाक लोग हैं और कानून जानते हैं इस कारण उन्होंने छल–कपट कर पखरीटोला किसली भिलवानी के निवासी न होने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर वादीगण के कब्जे की भूमि कक्ष क्र. 6, 7 व 9 रकबा 2.074 एवं रकबा 1.191 का पट्टा बनवा लिया है जबकि वे लोग पुराने पट्टेदार होने के नाते उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने के प्रथम अधिकारी हैं। प्रतिवादी रामसिंह ने उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहार वाद क्र0 124 अ/14 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मण्डला में प्रस्तुत किया था जो दिनॉक 17.11.2014 को निरस्त हो गया। उसका यह भी अभिवचन रहा है कि दिनॉक 24.02.2016 को वन परिक्षेत्र सरही के अधिकारियों ने फर्जी पंचनामा तैयार कराकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी को दिला दिया है जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। दिनॉक 20.06.2016 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया था जिसे उसने विफल कर दिया है। इन आधारों पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

04– प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत

करते हुये वाद पत्र के सभी अभिवचनों को अस्वीकार किया है। अतिरिक्त अभिवचन में यह बताया है कि उनके पिता उमराव वल्द सुखमन उइके को भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा वन परिक्षेत्र सरही के अंतर्गत कान्हा कोर के कक्ष क्र. 679 रकबा 2.74 हेक्टेयर का पट्टा प्रदान किया गया था। उनके पिता की मृत्यु के बाद दिनॉक 22.06.2012 को भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा उन्हें उक्त भूमि का पट्टा दिया गया है। अपने पिता के समय से ही वह वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। कृषि कार्य के अतिरिक्त समय के लिये वे रोजी–रोटी कमाने बिछिया आ जाते हैं इसी का फायदा उठाते हुये वादी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

05– प्रत्यर्थी क्र. 3 डिप्टी डायरेक्टर कान्हा टाईगर रिजर्व एवं म.प्र. शासन के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

06– उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने दो वाद विषय निर्मित किये हैं जिनको अप्रमाणित मानते हुये वादी का मामला निरस्त कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न निम्नानुसार है :–

01. क्या वादग्रस्त संपत्ति वनग्राम पखरीटोला भिलवानी प.ह.नं. 62 वन परिक्षेत्र कान्हा कोर की भूमि खाता क्र. 330 पट्टा क्र. 000146 रकबा 2.50 हेक्टेयर पर वादी का कब्जा है ?

02. क्या, वादी के उक्त कब्जे की भूमि पर से प्रतिवादी क्र. 03 द्वारा अवैध रूप से बलपूर्वक कब्जा हटाकर प्रतिवादी क्र. 1 व 2 को प्रदान कर वादी के हितों पर हस्तक्षेप किया गया है ?

07— विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय एवं जयपत्र दिनांक 22.09.2022 के द्वारा वाद को निरस्त कर दिया है, जिसके विरूद्ध यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अभिलेख पर आयी से साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन नहीं किया है। यह भी तर्क किया है कि प्रत्यर्थी ग्राम पखरीटोला के निवासी नहीं है। अवैधानिक रूप से पट्टा जारी किया है। इस संबंध में अभिलेख पर आयी साक्ष्य का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। इन आधारों पर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

08— प्रकरण के सम्यक् निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विरचित किये जाते हैं :—

01— क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि में वादी को पूर्व से पट्टा दिये जाने तथा प्रतिवादी के ग्राम पखरीटोला का निवासी न होने के बावजूद उसे पट्टा दिये जाने के तथ्य की अनदेखी करते हुये आलोच्य निर्णय एवं जयपत्र पारित करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है ?

02. सहायता एवं व्यय।

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 पर विवेचना सहित सकारण निष्कर्ष

09— विद्वान विचारण न्यायालय के **व्यवहार वाद कमांक 192—ए/2016 (चमरू आदि विरूद्व रामसिंह आदि)** के मूल अभिलेख का अवलोकन किया।

10— अपीलार्थी की ओर से श्री थानेश्वर तेकाम अधिवक्ता ने यह बताया है कि उन्हें वादग्रस्त भूमि का पहले से पट्टा डिप्टी डायरेक्टर कान्हा टाईगर रिजर्व के द्वारा जारी किया गया था। प्रतिवादीगण को अवैधानिक रूप से पट्टा जारी किया गया है जबकि वे ग्राम पखरीटोला के निवासी भी नहीं है। ऐसी दशा में अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से आलोच्य निर्णय एवं जयपत्र विधि अनुसार पारित किया जाना बताया है।

11— सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या वादी को वादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी किया गया था ? इस संबंध में वादी साक्षी करण गौड़ ने कथन करते हुये प्रदर्श पी—11 की भू—अधिकार ऋण पुस्तिका अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह ढाई हेक्टेयर भूमि के संबंध में कान्हा कोर की भूमि के बाबद् है किंतु किस सर्वे की भूमि

उन्हें पट्टे पर दी गयी, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

12— वादी साक्षी क्र.3 चमरू ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे कौन सी भूमि पट्टे पर प्राप्त हुयी उसका सर्वे नं. और रकबा ज्ञात नहीं है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के चरण—27 में यह भी स्वीकार किया है कि '' यह कहना सही है कि खाता क्र. 330 पट्टा क्र. 000146 रकबा 2.50 हेक्टैयर पर उसका कब्जा नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त कब्जे की भूमि पर से प्रतिवादी क्र.3 अवैध रूप से बल पूर्वक कब्जा हटाकर प्रतिवादी क्र.1 से 2 को प्रदान नहीं किया गया है।''

13— वादी साक्षी क्र.1 करण एवं वादी साक्षी क्र. 2 ज्ञानी, वादी साक्षी क्र. 3 चमरू ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्रों में यह अभिवचन किया है कि दिनॉक 24.02.2016 को वादग्रस्त भूमि में उनके द्वारा बोई गयी फसल का कब्जा वन परिक्षेत्र अधिकारी सरही ने प्रतिवादी रामसिंह को दिला दिया।

14— इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय को इस बाबद् अतिरिक्त साक्ष्य लेने हेतु निर्देशित किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनॉक 12.09.2024 को वादी साक्षी करण सिंह मरावी का अतिरिक्त मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण अंकित किया है जिसमें वादी की ओर से प्रदर्श पी—12 से लेकर प्रदर्श पी—20 तक के दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये हैं।

15— वादी साक्षी करण सिंह मरावी के इस अतिरिक्त मुख्य परीक्षण के प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने खाता नंबर 330 शासकीय पट्टा 00146 रकबा 2.50 हेक्टेयर के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये अर्थात जो भूमि विवादित होना बतायी गयी है उसका कोई पट्टा वादी ने अवसर देने के बाद प्रस्तुत नहीं किया है।

16— उपरोक्त सभी तथ्यों को विचार में लेने पर यह प्रकट होता है कि वादीगण को जिस भूमि का पट्टा दिया जाना बताया गया है वह पट्टा उसने अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। जो भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी—11 अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है उससे यह प्रकट नहीं होता है कि उन्हें किस भूमि का पट्टा दिया गया है क्योंकि उसमें खसरा नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। वादी साक्षीगण के मुख्य परीक्षण के चरण—11 में इस बात का उल्लेख है कि उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी को दिला दिया गया है। स्वयं वादी साक्षी चमरू ने इस तथ्य को अपने प्रतिपरीक्षण के चरण—27 में स्वीकार किया है।

17— जहॉ तक प्रतिवादी का प्रश्न है उसने भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा उसके पिता उमराव सिंह उइके/श्रीमती भदिया बाई के संबंध में ग्राम कसली भिलवानी के कक्ष क्र. 679 का 2.074 हेक्टेयर का पट्टा अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार उसने अपने स्वयं के नाम से उक्त भूमि का पट्टा प्रदर्श पी—1 भारत सरकार के जनजाति कार्य

मंत्रालय द्वारा जारी किया जाना बताया है। इसके अवलोकन से यह प्रकट है कि ग्राम कसली भिलवानी की कक्ष क्र. 679 का 1.919 हेक्टेयर का कब्जा प्रतिवादी रामसिंह को जारी किया जाना प्रकट होता है। इस तथ्य का अभिलेख पर कोई खण्डन नहीं है।

18— अभिलेख पर आयी साक्ष्य से वादी/अपीलार्थी प्रथम तो यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि ग्राम पखरीटोला की भूमि का पट्टा उसे प्रदान किया गया था। द्वितीयतः वह ऐसा कोई पट्टा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं कर पाया है। तृतीयतः उसने वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी रामसिंह को वन अधिकारियों द्वारा दिलाये जाने के तथ्य की स्वीकारोक्ति की है अर्थात वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य भी नहीं रहा है। चतुर्थतः प्रतिवादी यह भी प्रमाणित करने में सफल हुआ है कि उसके पक्ष में भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा पट्टा जारी किया गया है और वह पट्टे पर प्राप्त भूमि के आधिपत्य में है। ऐसी दशा में अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के संबंध में न तो अपना अधिकार और न ही कब्जा प्रमाणित कर पाया है और स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के संबंध में कोई भी आधार प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण नकारात्मक रूप से किया जाता है।**

19— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह **अपील निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक 192—ए/2016 (चमरू आदि विरूद्ध रामसिंह आदि) के

मामले में पारित निर्णय एवं जयपत्र दिनांक 22.09.2022 की पुष्टि की जाती है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क सूची अनुसार अथवा प्रमाणित होने पर, जो भी कम हो आंका जावे।

उपरोक्तानुसार जयपत्र बनाया जावे।

20– निर्णय एवं जयपत्र की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटाया जावे।

21– प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।	मेरे आलेख पर टंकित किया गया।
सही / –	सही / –
(ब्रजेश गोयल)	**(ब्रजेश गोयल)**
पंचम जिला न्यायाधीश	पंचम जिला न्यायाधीश
मण्डला (म.प्र.)	मण्डला (म.प्र.)

BRAJESH GOYAL

Digitally signed by BRAJESH GOYAL
Date: 2025.05.01 17:30:46 -0800